BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 19 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 04 आरोपियो को 05-05 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. राजकिशोर पुत्र गनेशी 2. कमल पुत्र गनेशी 3. सोनू पुत्र निरंजन 4. ललित पुत्र विजय निवासीगण ग्राम परवाना थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति राजकिशोर के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करना व जाति सूचक शब्द कहने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 25.10.20114 को थाना खानपुर पर मुअसं- 197/2014 धारा 323,34,325,504,506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 22.12.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 19.09.2024 को न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश वर्मा (मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण राजकिशोर, कमल, सोनू व ललित को 05-05 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल कुमार राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर